

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

संचिका संख्या - 15/औ0-14-26/18/स्वा0, पटना, दिनांक -

विभागीय अधिसूचना संख्या-463(15) दिनांक-08.05.2019 के द्वारा श्री अवधेश कुमार सिंह, निलंबित औषधि निरीक्षक, दरभंगा 1 एवं 2 को जमानत पर रिहा होने फलस्वरूप उनके द्वारा असेनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, दरभंगा के समक्ष दिनांक-19.03.2019 को दिए गए योगदान को स्वीकार करते हुए योगदान की तिथि से उन्हें निलंबन से मुक्त किया गया है।

2. श्री अवधेश कुमार सिंह के संदर्भ में निगरानी विभाग, से प्राप्त आरोपो की समीक्षा के क्रम में सरकार द्वारा इन्हें पुनः निलंबित कर इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया है। फलतः सरकार द्वारा लिये गए उक्त निर्णय के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम- 09(3)(ii) में वर्णित प्रावधान के तहत श्री अवधेश कुमार सिंह, औषधि निरीक्षक, दरभंगा 1 एवं 2 का अधिसूचना निर्गत की तिथि से पुनः निलंबित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में श्री अवधेश कुमार सिंह, औषधि निरीक्षक का मुख्यालय आर0डी0डी0 कार्यालय, पूर्णियाँ निर्धारित किया जाता है।

4. निलंबन अवधि में उन्हें अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता अनुमान्य होगा बशर्त कि वे नियमित रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे।

5. विभागीय कार्यवाही का संकल्प अलग से निर्गत किया जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(राम ईश्वर)

सरकार के संयुक्त सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक - 15/औ0-14-26/18/स्वा0, पटना, दिनांक -

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-


सरकार के संयुक्त सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

- 15/औ0-14-26/18 536(15) स्वा0, पटना, दिनांक - 29.15/19

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार/सिविल सर्जन, दरभंगा/जिला अधिकारी, दरभंगा/राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना/सभी सहायक औषधि नियंत्रक, बिहार/प्रभारी पदाधिकारी, बिहार औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला, अगमकुआँ, पटना/आर0डी0डी0, स्वास्थ्य सेवारँ, पूर्णियाँ/श्री अवधेश कुमार सिंह,

औषधि निरीक्षक दूरभंगा-1 & 2/ प्रशाखा-7,9,10 एवं 15 स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि: आई0 टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।